सीएलयू पर व्यापारी और नगर निगम आमने-सामने

नगर निगम अधिकारियों की यह सोच है कि आठ से दस हज़ार प्रति वर्ग गज की दर से अगर कनवर्जन चार्ज की वसूली हो जाये तो निगम के पास सैंकड़ों करोड़ रुपये आ जायेंगे और उसका इस्तेमाल अफ़सरों, नेताओं, बिचौलियों एवं ठेकेदारों की जेबें भरने में किया जायेगा। पर नगर निगम के अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। नगर निगम को यह अधिकार नहीं है कि वह मनमाने ढंग से सीएलयू चार्ज निर्धारित कर दे। सवाल यह है कि आठ हज़ार अथवा दस हज़ार प्रति वर्ग गज कनवर्जन चार्ज का क्या औचित्य है। यह किस आधार पर तय किया गया है? नगर निगम अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि उसके हर निर्णय में तर्कपरकता होनी चाहिए। नगर निगम कोई फ़र्मान जारी नहीं कर सकता। सीएलयू चार्ज आठ हज़ार की जगह आठ सौ भी हो सकता है।

फ़रीदाबाद (म.मो.) एक बार फ़िर सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) का मामला शहर में काफ़ी गरमा गया है। इसे लेकर शहर भर के व्यापारी आक्रोशित हैं, क्योंकि नगर निगम इस नाम पर व्यापारियों से काफ़ी लंबी-चौड़ी रकम की मांग कर रहा है। लगभग सभी व्यापारियों को नोटिस दिया जा चुका है। यह मुद्दा कोई आज का नहीं, काफ़ी पुराना है। सन् 2009 में भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर वैसे दुकानों की सीलिंग का प्रयास किया गया था जिनके साथ मकान भी हैं। पर दुकानदारों के विरोध के कारण नगर निगम प्रशासन का यह प्रयास सफल नहीं हो सका। इसकी वजह यह है कि जब यह शहर बसा था तो इसकी 25 हज़ार आबादी के हिसाब से ही दुकानों की व्यवस्था की गई थी, पर समय के साथ आबादी तो लाखों में बढ़ती रही, पर निगम अथवा सरकार ने दुकानों की व्यवस्था नहीं की। परिणामस्वरूप व्यापारी वर्ग ने अपने निवास स्थलों के नीचे वाले हिस्से को दुकान का रूप दे डाला और व्यापार करने लगे। पूरे शहर में, विशेषकर एनआईटी के नंबरों में बाज़ार की यही व्यवस्था चली आ रही है। इधर न्यायालय का कहना है कि आवासीय स्थलों से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकता है। फ़िर सवाल उठता है कि दुकानदार कहां जायें? क्या नगर निगम व्यवसायियों को व्यापार के संचालन के लिए मार्केट बना कर देने जा रहा है? ज़ाहिर है, ऐसा वह नहीं करने जा रहा है। दूसरी तरफ़ लोग इस बाज़ार व्यवस्था के अभ्यस्त हो गये हैं और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। फ़िर सरकार व्यापारियों को परेशान क्यों कर रही है?

दरअसल, सरकार व्यापारियों से इस नाम पर कि वे आवासीय स्थलों से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, मोटी रकम उगाहना चाहती है और अपना खज़ाना भरना चाहती है। नगर निगम किसी भी हाल में यह चाहता है कि न्यायपालिका के आदेश की आड़ में व्यापारियों से अधिक से अधिक सीएलयू यानी कनवर्जन चार्ज वसूल कर लिया जाये और फ़िर इस रकम की धीरे-धीरे बंदरबांट की जाये। निगम के पास कनवर्जन चार्ज से आये पैसे से शहर में विकास का कार्य करने की कोई योजना नहीं है।

इधर व्यापारियों का कहना है कि वे सरकार को हर शुल्क व्यावसायिक आधार पर देते आ रहे हैं, न कि घरेलू आधार पर और वे सीएलयू चार्ज देने को भी तैयार हैं। पर नगर निगम यह तय करे कि किन व्यापारियों से सीएलयू चार्ज लिया जायेगा। जो पुराने व्यापारी हैं और हर तरह का शुल्क देकर व्यापार कर रहे हैं, उनसे सीएलयू चार्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि जिन्होंने पंद्रह-बीस वर्षों से व्यापार शुरू किया है, उनसे ही सीएलयू चार्ज लेना चाहिए। यह कहना है व्यापार मंडल के अध्यक्ष जगदीश भाटिया का। दूसरी तरफ़, व्यापारियों का कहना है कि सीएलयू चार्ज मनमाने तरीके से लगाया गया है और काफी अधिक दर से व्यापारियों को नोटिस थमाये गये हैं। व्यापारियों का कहना है कि जहां नेशनल हाई वे स्थित उद्योगों से मात्र पांच सौ रुपये प्रति वर्ग गज सीएलयू चार्ज लिया जा रहा है, वहीं नगर निगम क्षेत्र के व्यापारियों से आठ से दस हज़ार रुपये प्रति वर्ग गज की दर से सीएलयू चार्ज मांगा जा रहा है। इतना ज़्यादा पैसा व्यापारी नहीं दे सकते। इसलिए नगर निगम को कम से कम सीएलयू चार्ज लेना चाहिए। पर नगर निगम इसके लिए तैयार नहीं है।

इससे नगर निगम और व्यापारियों के बीच संघर्ष बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं।

व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया ने कहा है कि कोई भी व्यापारी सीएलयू शुल्क नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि नगर निगम को सीएलयू चार्ज कम करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल से व्यापारी नगर निगम पर भूख हड़ताल करेंगे और धरना देंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, व्यापारी संघर्षरत रहेंगे। वे दस हज़ार प्रति वर्ग गज की दर से हर्गिज सीएलयू चार्ज नहीं देंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि व्यापारियों की कमाई काफ़ी अच्छी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि नगर निगम उन्हें लूटने पर उतारू हो जाये।

नगर निगम अधिकारियों की यह सोच है कि आठ से दस हज़ार प्रति वर्ग गज की दर से अगर कनवर्जन चार्ज की वसूली हो जाये तो निगम के पास सैंकड़ों करोड़ रुपये आ जायेंगे और उसका इस्तेमाल अफ़सरों, नेताओं, बिचौलियों एवं ठेकेदारों की जेबें भरने में किया जायेगा। पर नगर निगम के अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है।

नगर निगम को यह अधिकार नहीं है कि वह मनमाने ढंग से सीएलयू चार्ज निर्धारित कर दे। सवाल यह है कि आठ हज़ार अथवा दस हज़ार प्रति वर्ग गज कनवर्जन चार्ज का क्या औचित्य है। यह किस आधार पर तय किया गया है? नगर निगम अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि उसके हर निर्णय में तर्कपरकता होनी चाहिए। नगर निगम कोई फ़र्मान जारी नहीं कर सकता। सीएलयू चार्ज आठ हज़ार की जगह आठ सौ भी हो सकता है।

इस शहर में दो मंत्री भी हैं। बिजली मंत्री से व्यापारियों की शिकायत है कि उनसे अनाप-शनाप बिजली बिल वसूले जाते हैं। उन्होंने इसे ठीक कराने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा उक्त दोनों मंत्रियों ने व्यापारियों को यह आश्वासन दिया है कि वे मुख्यमंत्री हुड्डा से कह कर सीएलयू चार्ज कम कराने की कोशिश करेंगे।

इस तरह मंत्रियों ने व्यापारियों के भड़कते आक्रोश को कम करने की कोशिश की है। पर व्यापारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन मंत्रियों और हुड्डा की शह पर ही नगर निगम के अधिकारी शेर बने हुए हैं। अगर हुड्डा और ये मंत्री ईमानदार एवं जनहितैषी होते तो यह नौबत ही नहीं आती। इनका भी उद्देश्य जनता को अधिक से अधिक लूटना है। जब ये मज़दूरों और ग़रीबों को लूट सकते हैं तो व्यापारी तो पैसे वाले हैं, इन्हें ये क्यों छोड़ेंगे? इसलिए व्यापारियों को यह समझ लेना चाहिए कि मंत्री उनके हितैषी नहीं हो सकते। वे उन्हें झांसा-पट्टी अवश्य दे सकते हैं। अत: वे उनकी झांसा-पट्टी में न आकर अपना संघर्ष तेज़ करें। जब वे अपना संघर्ष तेज़ करेंगे तभी सरकार उनकी बातें सुनने और मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो सकती है, अन्यथा वह उनकी एक न सुनेगी और रोज़ नोटिस जारी कर-कर के उन्हें परेशान करती रहेगी।

निगमायुक्त और मेयर साहब

क्या आपको दिखाई नहीं पड़ते कूड़े-कचरे के अंबार?

फ़रीदाबाद (म.मो.) इस शहर में आप जहां भी जायें, आपको गंदगी के अंबार दिखाई पड़ेंगे। लगता है कि नगर निगम प्रशासन ने सफ़ाईकर्मियों को यह निर्देश दे रखा है कि जहां भी खाली जगह देखो, उसे कूड़े से पाट दो। ऐसे स्थलों की कहीं कोई कमी नहीं है जहां गंदगी और कूड़ा-करकट के ढेर न लगे होते हैं। डीसी साहब ने हाल ही में ऐसे दृश्यों के फ़ोटो खींचे हैं। विशेषकर, झुग्गी बस्तियां तो बसाई ही जाती हैं कूड़े के ढेर पर। अगर कोई ऑटोपिन झुग्गी बस्ती के पीछे चला जाये तो एक लंबा-चौड़ा मैदान कूड़े-कचरे से अटा पड़ा दिखाई पड़ेगा। ज़ाहिर है, जब बरसात होती है तो बरसों से जमा होते कचरे के उस ढेर से न जाने कितनी बीमारियों के विषाणु फैलते हैं और झुग्गी बस्ती एवं आसपास की बस्तियों में रह रहे लोगों को बीके अथवा ईएसआई अस्पताल भिजवाते हैं। ऐसे कचरे के ढेर सिर्फ़ वहीं नहीं हैं, बल्कि लगभग सभी कॉलोनियों में एक-दो जगहें ऐसी जरूर हैं जहां दूर-दूर से कचरा ला कर डंप कर दिया जाता है। विशेषकर सेक्टर-24 में जहां छोटे-बड़े उद्योगों की भरमार है, कई जगहों पर कूड़े-कचरे के विशाल ढेर दिखाई पड़ते हैं।

खूबसूरत निगमायुक्त डी. सुरेश : थोड़ी खूबसूरती शहर को भी दे दो।

नंबर-दो से नंबर तीन जाने के रास्ते में कई स्थानों पर कूड़े-कचरे के ढेर सड़ते हुए मिलते हैं। दूर कहां जायें, तिकोना पार्क स्थित फल बाज़ार के सामने कूड़े-कचरे का इतना विशाल अंबार पड़ा है कि समझ में नहीं आता कि आख़िर नगर निगम की कचरा-निस्तारण नीति क्या है। आख़िर किस वजह से उस जगह पर कूड़े-कचरे का इतना बड़ा ढेर लगाया गया है? क्या नगर निगम के अधिकारियों को पता है कि उस कचरे के ढेर से किस हद तक महामारी फैल सकती है? आश्चर्य की बात तो यह है कि इस संवाददाता ने स्वयं तिकोना पार्क में मुख्य सड़क के एक बड़े हिस्से से सटे कचरे के उस भंडार में जानवर की तरह आदमी को मुंह मारते देखा। यानी वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था अब इतनी घिनौनी हो गई कि पहले जहां कूड़े-कचरे के ढेर में सूअर मुंह मारा करते थे, अब आदमी भी ऐसा करने लगे हैं।

बहरहाल, कचरा-निस्तारण नगर निगम की ज़िम्मेवारी है। लेकिन नगर निगम का तो इस पर कोई ध्यान है ही नहीं। जब कभी बारिश होगी तो कचरे के इन ढेरों से ही जानलेवा बीमारियां फैलेंगी। यहां एक सवाल उठता है कि अगर नगर निगम के अधिकारियों को या मेयर साहब को कचरे का यह ढेर दिखाई पड़ता तो उनके मनुष्य होने के नाते हम उनसे कतई यह आशा नहीं कर सकते कि वे इसका निस्तारण नहीं करवायेंगे। इसे साफ़ करवाने में उनकी जेब से तो कुछ जाना नहीं है। पर उच्च सरकारी पद पर रहने के कारण कमिश्नर साहब को और नगर निगम में जनप्रतिनिधियों का प्रधान होने के कारण मेयर साहब को कूड़े-कचरे के ढेर दिखाई नहीं पड़ते। उन्हें सब कुछ साफ़-सुथरा दिखाई पड़ता है। 'माया' के प्रभाव के कारण ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है। इन्हें कूड़ा-कचरा दिखाई पड़े, इसके लिए जनता को चाहिए कि अगर उसे अपनी गांठ भी ढीली करनी पड़े तो करे और सारा कचरा उठवा कर निगम आयुक्त एवं मेयर साहब के यहां उपहार के रूप में भिजवा दे। इन निकम्मों और जनता के पैसों पर ठाठ करने वालों के लिए इससे बेहतर उपहार और कुछ नहीं हो सकता।

थानों में चलती समझौते की दुकान, अपराधी होते मालामाल

फ़रीदाबाद (म.मो.) मार्च 2010 में तिगांव निवासी मनोज पुत्र सुखबीर ने सैनिक कॉलोनी निवासी अनुज से 5000 रुपये नकद व एक कोरा चेक एलआईसी से कर्ज दिलाने के नाम पर लिया। कुछ दिन बाद मनोज ने उस चेक में 45000 रुपया लिख कर अनुज के दस्तखत कर के रकम डकार ली। जब अनुज को पता चला तो उसने मई 2010 में थाना एसजीएम नगर में इस बाबत दरखास्त दी। नियमानुसार इस दरखास्त पर तुरंत भादंसं की धारा 420, 467, 468 व 471 आदि के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ़्तीश की जानी चाहिए थी और सबूत काबिले गिरफ़्तारी एकत्र करके दोषी को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था।

देखने व समझने वाली बात यह है कि जब किसी संज्ञेय अपराध का बरसों तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो क्यों तो अपराधी डरेंगे और कैसे अपराध कम होंगे? इस सारे मामले में अब करने वाली बात यह बनती है कि उस अधिकारी की ज़िम्मेवारी तय की जाये जिसने इस शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की।

लेकिन शिकायतकर्ता अनुज ने इस काम के लिए पुलिस को 10,000 रुपये नहीं दिये। परिणामस्वरूप उसकी दरखास्त महीनों तक थाने में घूमती रही।

दिनांक 11 दिसंबर 2010 को मनोज का भाई व बाप थाना में बुलाये गये और पुलिस ने एक 'राज़ीनामा' अथवा 'समझौता' लिखवा कर मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया। लेकिन अपराधी पक्ष ने जब समझौते के बावजूद रकम नहीं लौटाई तो अनुज ने दिनांक 23.12.10 को डीसीपी अपराध को इस बाबत एक दरखास्त दी जो उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा को 888 पीबी नंबर लगा कर भेज दी। यहां एएसआई बाबू लाल ने मेहनत व ईमानदारी से काम करते हुए तमाम सबूत काबिले गिरफ़्तारी एकत्र किये। बार-बार दोषी को हुकुमनामा तलबी धारा 160 के तहत जारी कर के बुलाने एवं पकड़ कर लाने का प्रयास किया। अंत में उसने एफआईआर दर्ज करने की सिफ़ारिश लिख दी, जिसकी ताइद एसीपी अपराध महेन्द्र सेठी ने भी करते हुए वापस डीसीपी अपराध को 1.3.11 को भेज दिया। लेकिन इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई।

दरअसल, 23.12.10 को डीसीपी अपराध व डीसीपी बल्लबगढ़ के दोनों पदों पर रिसाल सिंह तैनात थे। उनके सेवानिवृत होने के बाद डीसीपी बल्लबगढ़ का पदभार राजकुमार वशिष्ठ ने तथा डीसीपी अपराध का पदभार कुलदीप सिंह ने ग्रहण किया। अब वह दरखास्त एवं रिपोर्ट इन दोनों अधिकारियों के बीच इधर से उधर कलाबाज़ियां खा रही है।

अब देखने व समझने वाली बात यह है कि जब किसी संज्ञेय अपराध का बरसों तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो क्यों तो अपराधी डरेंगे और कैसे अपराध कम होंगे? इस सारे मामले में अब करने वाली बात यह बनती है कि उस अधिकारी की ज़िम्मेवारी तय की जाये जिसने इस शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06